न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 07/2016/223 आर टी ए

बाबूसिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 के.एन.डी. (बी) तहसील घडसाना जिला श्री गंगानगर।

––अपीलांट

बनाम

1. दर्शन सिह पुत्र जगराज सिह जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।

–––वादी/रेस्पो0

2. जगराज सिह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. जरनैल सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. अंग्रेज कौर बेवा बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक खारा उर्फ किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्वर्णजीत कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक खारा उर्फ किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. छिन्द्र कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक खारा उर्फ किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. गुरदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. महेन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. कुलविन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. जसविन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह नाबालिग जरिये कुदरती अंग्रेज कौर बेवा बलवीर सिंह जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
11. मु0 सुखेदव कौर बेवा जीतसिंह उर्फ सरजीत सिंह जाति जटसिख नजदीक लोको शैड, हनुमानगढ जंक्शन।
12. गुरमेल सिह पुत्र जीतसिंह उर्फ सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी नजदीक लोकोशैड, हनुमानगढ जंक्शन।
13. हरपालसिंह पुत्र जीतसिंह उर्फ सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी नजदीक लोकोशैड, हनुमानगढ जंक्शन।
14. महेन्द्र कौर पुत्री जीतसिंह उर्फ सरजीत सिंह पत्नि बलदेव सिंह जाति जटसिख साकिन नरूआना तहसील व जिला बठिण्डा।
15. गुरदेव सिंह पुत्र मुंशी सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
16. भोला सिंह पुत्र मुंशी सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
17. गुरदयाल सिंह पुत्र मुंशी सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
18. खजान सिंह पुत्र मुंशी सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।

19. करतार सिह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
20. काका सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
21. मुखत्यार सिह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
22. गुरदेव सिह पुत्र बग्गा सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
23. गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरदेव सिह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
24. कुलदीप सिंह पुत्र धन्ना सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
25. बोडा सिंह पुत्र धन्ना सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
26. राजेन्द्र सिंह पुत्र धन्ना सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
27. गुरलाल सिंह पुत्र धन्ना सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
28. जसनामा सिंह उर्फ सतनामा सिंह पुत्र धन्ना सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
29. अंग्रेज सिंह पुत्र सरवन सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
30. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

—— प्रतिवादी/रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 85/97 अनवानी दर्शनसिंह बनाम जगराजसिंह

उपस्थित :–

श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अधिवक्ता अपीलांट

श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12 व 13

श्री खुशकरणसिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 30

निर्णय दिनांकः–09.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आरटीए का पेश किया जिसमे प्रतिवादी सं. 1 ता 29 ने दिनांक 29.12.97 को राजीनामा प्रस्तुत किया उक्त राजीनामा के आधार पर दिनांक 18.02.1999 को वादपत्र डिक्री किया गया। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी सं. 11 व 12 ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमे प्रतिवादी सं. 11 व 12, वादी दर्शनसिंह, प्रतिवादी सं. 1,6 ता 9 ने राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा के मुताबिक पारित निर्णय व डिक्री करे आंशिक निरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 29 ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष क्रॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत कर 1 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किये जाने का

अनुतोष चाहा। जिसमे दिनांक 02.12.2010 को प्रतिवादी सं. 11 व 12 की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.1999 को राजीनामा दिनांक 14.10.2010 व क्रॉस आब्जेक्शन की हद तक निरस्त कर उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि राजीनामा दिनांक 14.10.2010 व क्रॉस आब्जेक्शन मे अंकित तथ्यो पर विधि अनुसार पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजीनामा दिनांक 14.10.2010 व क्रॉस आब्जेक्शन की हद तक अपीलाधीन निर्णय मे अगर विधि अनुसार संशोधन आक्षेपित हो तो संशोधन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकृत निर्णय को पारित कर अपने द्वारा पारित पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.99 जिसके द्वारा राजीनामा दिनांक 14.10.2010 के आधार पर चक 51 एनजीसी के प.न. 125/255 के कि.न. 16 व 25 का खातेदार अपीलांट को घोषित किया गया था, को संशोधित करते हुए इन किला नं. 16 व 25 का प्रतिवादी सं. 11 व 12 गुरमेलसिंह व हरपालसिंह को खातेदार घोषित किये जाने का आदेश पारित कर अपीलांट का नाम कलमजन किये जाने का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2010 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो के अनुकूल आदेश पारित नही किया है व न ही माननीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ठित विवाद बिन्दूओ पर विधिक निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील सं. 24/2010/223 आरटीए मे प्रस्तुत राजीनामा के विधिक प्रभाव को विचारित नही किया। इस राजीनामा मे अपीलांट पक्षकार नही था जबकि वह उक्त अपील मे बतौर रेस्पो0 सं. 2 के रूप मे संयोजित किया गया था। यह राजीनामा अपील के रेस्पो0 सं. 2 व 3 की अनुपस्थिति मे मान्य नही था। दर्शनसिंह व रेस्पो0 सं. 12 व 13 के मध्य हुए राजीनामा का कोई प्रभाव अपीलांट के अधिकारो पर नही था। अपील सं. 24/2010 मे अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रत्याक्षेप (क्रॉस आब्जेक्शन) के द्वारा उठाये गये विवाद बिन्दूओ पर समग्र विवेचना कर इसका विधिपूर्वक निस्तारण करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध मे कोई तनकी को विरचित नही किया। इस प्रत्याक्षेप के पैरा सं. क, ख, ग मे उठाये गये बिन्दूओ को साक्ष्य उपरांत निर्णित करना चाहिए था। यही दिशा निर्देश अपील न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय को दिये गये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने

रिमाण्ड पत्रावली के निर्देशानुसार न तो अतिरिक्त विवाधको की विरचना की व न ही पक्षकारो को साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने महज बैयनामा दिनांक 17.08.98 के पंजीकृत दस्तावेज होने के आधार पर इसे विधि मान्य मानकर विधिक भूल की है। इस विक्रय पत्र के संबंध मे यह प्रश्न उठाया गया था कि संयुक्त खाता के अविभाजित होने की स्थिति मे विशिष्ट किलो की भूमि का बेचान मान्य नही है। स्वीकृत तौर पर इस विक्रय पत्र के समय भूमि अविभाजित थी मामला विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित था। बेचान करने से पूर्व न्यायालय की अनुमति भी नही ली गई थी। ऐसा विक्रय पत्र लिस–पेन्डेन्स के सिद्धांत से ग्रसित था। वाद के निर्णय पर यह बैयनामा प्रभावित होने से इसमे दर्ज किले जगराजसिंह को प्राप्त न होकर बल्कि अपीलांट को जरिये डिक्री प्राप्त हुए। ऐसी स्थिति मे यह बैयनामा विशिष्ट किलो की हद तक व जगराजसिंह को कोई भूमि न मिलने की स्थिति मे अधिकारिता रहित होने से विधिक दृष्टि से शून्य था। प्रतिवादी सं. 11 व 12 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना आज्ञा प्रतिदावा पेश किया व इसके अभिवचनो को सशपथ साक्ष्य से प्रमाणित नही किया। ऐसी स्थिति मे प्रतिदावा को स्वीकार ही नही किया जा सकता था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12 व 13 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 2 जगरासिंह ने दिनांक 19.03.1998 को अपीलांट की सहमति से चक 51 एनजीसी के प.न. 125/255 किला न0 16, 25 को विक्रय करने का सौदा प्रतिवादी संख्या 11 व 12/रेस्पो0 सं. 12 व 13 के साथ किया तथा एक इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के पक्ष में निष्पादित कर उपपंजीयक से तस्दीक करवाया तथा इकरारनामा में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उपरोक्त भूमि का इकरारनामा करवाने के लिए अपीलांट बाबूसिंह सहमत है तथा अपीलांट बाबूसिंह के उक्त इकरारनामा में बतौर गवाह हस्ताक्षर है। तत्पश्चात दिनांक 17.08.1998 को रेस्पो0 सं. 2 ने उपरोक्त 2 बीघा भूमि का बैयनामा अपीलांट की सहमति से प्रतिवादी संख्या 11 व 12/रेस्पो0 सं. 12 व 13 के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया तथा बैयनामा में भी अपीलांट के बतौर गवाह हस्ताक्षर है। रेस्पो0 सं. 2 ने उपरोक्त 2 बीघा भूमि का कब्जा दिनांक 17.08.1998 को प्रतिवादी संख्या 11 व 12/रेस्पो0 सं. 12 व 13 को सौंप दिया। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की ओर से इकरारनामा दिनांक 19.03.1998 व बैयनामा दिनांक 17.08.1998 की प्रति प्रस्तुत की तथा साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या 11 ने अपना शपथ पत्र तथा बैयनामा दिनांक 17.08.1998 में वर्णित गवाह गुरदत सिह

व इकरारनामा दिनांक 19.03.1998 व बैयनामा दिनांक 17.08.1998 में वर्णित गवाह हेमचन्द का शपथ पत्र प्रस्तुत किये है तथा कब्जा के संबंध में दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। उक्त बैयनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है। बैयनामा दिनांक 17.08.1998 को रेस्पो0 2 व अपीलांट ने कहीं भी चुनौती नहीं दी। अपीलांट ने अपने क्रॉस ऑब्जेक्शन में रेस्पो0 सं. 2 द्वारा बैयनामा निष्पादित करने के तथ्य को स्वीकार किया है। अपीलांट स्वयं ने इकरारनामा व बैयनामा निष्पादित करवाने में सहमति प्रदान की है। इस कारण धारा 52 टीपीएक्ट का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते तथा अपीलांट बैयनामा दिनांक 17.08.1998 में दी गई सहमति के विरूद्ध कथन करने से विबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर रिमाण्ड निर्देशो के अनुसार राजीनामा दिनांक 14.10.2010 व प्रतिवादी सं. 29 द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन मे वर्णित तथ्यो पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर वादपत्र डिक्री किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 30 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आरटीए का पेश किया जिसमे प्रतिवादी सं. 1 ता 29 ने दिनांक 29.12.97 को राजीनामा प्रस्तुत किया उक्त राजीनामा के आधार पर दिनांक 18.02.1999 को वादपत्र डिक्री किया गया। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी सं. 11 व 12 ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमे प्रतिवादी सं. 11 व 12, वादी दर्शनसिंह, प्रतिवादी सं. 1,6 ता 9 ने राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा के मुताबिक पारित निर्णय व डिक्री करे आंशिक निरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 29 ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष क्रॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत कर 1 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। जिसमे दिनांक 02.12.2010 को प्रतिवादी सं. 11 व 12 की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.1999 को राजीनामा दिनांक 14.10.2010 व क्रॉस आब्जेक्शन की हद तक निरस्त कर उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि राजीनामा दिनांक 14.10.2010 व क्रॉस आब्जेक्शन मे अंकित तथ्यो पर विधि अनुसार पक्षकारान

को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजीनामा दिनांक 14.10.2010 व क्रॉस आब्जेक्शन की हद तक अपीलाधीन निर्णय मे अगर विधि अनुसार संशोधन आक्षेपित हो तो संशोधन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित करें।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए उल्लेखित किया कि इस न्यायालय को मात्र माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं परिप्रेक्ष्य में माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रेषित राजीनामा व क्रॉस ऑब्जेक्शन में वर्णित तथ्यों पर विधि अनुसार निर्णय पारित करना है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 11 व 12 द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 19.03.1998 व बैयनामा दिनांक 17.08.1998, जो प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के पक्ष में निष्पादित है। उक्त दोनों दस्तावेज रजिस्टर्ड है तथा उक्त दस्तावेज के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से स्वयं का शपथ पत्र व दस्तावेज के गवाह गुरदत सिंह व हेमचन्द के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिसका कोई खंडन प्रतिवादी संख्या 29 द्वारा नहीं किया गयां तथा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के पक्ष में बैयनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा बैयनामें में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त बैयनामा प्रतिवादी संख्या 29 की सहमति से करवाया जा रहा है तथा उक्त बैयनामे पर प्रतिवादी संख्या 29 के बतौर गवाह हस्ताक्षर है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 29 का मात्र यह कह देना कि उस पर प्रतिवादी संख्या 1 के अगूॅठा/हस्ताक्षर नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 29 की सहमति नहीं ली गई है, न्यायसंगत नहीं है। इसके अलावा क्रॉस ऑब्जेक्शन में प्रतिवादी संख्या 29 ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 11 व 12 को उपरोक्त भूमि जरिये बैयनामा मुन्तकिल कर दी है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 29 ने विधि अनुकूल न होने के कथन किये। जबकि प्रतिवादी संख्या 11 व 12 द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ पत्र व रजिस्टर्ड दस्तावेजों से यह तथ्य साबित है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 29 की सहमति से बैयनामा निष्पादित करवाया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 29 की सहमति से दौराने वाद पत्र यह बैयनामा निष्पादित करवाया है। प्रतिवादी संख्या 29 का यह तर्क की दौराने वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के पक्ष में हुआ बैयनामा धारा 52 टीपीएक्ट के तहत विधि शून्य है। इस संबंध में न्यायसंगत तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 29 की सहमति से यह बैयनामा निष्पादित करवाया है तथा अब वह स्वयं अपने द्वारा की गई कार्यवाही के विरूद्ध कथन नहीं कर सकता। बैयनामा दिंनाक 17.08.1998 के दिवस से ही प्रतिवादी संख्या 11 व 12 का कब्जा है। इस सबंध में प्रतिवादी संख्या 11 व 12 ने दैनिक डायरी प्रस्तुत की जिसके अनुसार उपरोक्त भूमि पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 का ही है। प्रतिवादी संख्या

29 का क्रॉस ऑब्जेक्शन में वर्णित तथ्य के संबंध में प्रतिवादी संख्या 29 ने न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये और न ही कोई विधिक स्थिति स्पष्ट की। इस कारण क्रॉस ऑब्जेक्शन में वर्णित तथ्य प्रतिवादी संख्या 29 साबित नही करने के कारण खारिज किये जाने योग्य है तथा राजीनामा दिनांक 14.10.2010 में वर्णित तथ्य प्रतिवादी संख्या 11 व 12 द्वारा साबित होने से इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.1999 में चक 51 एनजीसी के प0न0 125/255 के किला न0 16, 25 का खातेदार प्रतिवादी संख्या 29 बाबूसिंह पुत्र जगराज सिंह को घोषित किया गया था, की हद तक संशोधित करते हुए चक 51 एनजीसी के प0न0 125/255 के किला न0 16, 25 का प्रतिवादी संख्या 11 व 12 क्रमशः गुरमेल सिह व हरपाल सिंह पुत्र जीत सिंह उर्फ सरजीत सिंह को खातेदार घोषित किया जाना तथा प्रतिवादी संख्या 29 बाबूसिंह का नाम कलमजन किया जाने योग्य हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व अपील मे राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिये गये रिमाण्ड निर्देशो के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही होने के कारण अपील अपीलांट को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 07/2016/223 आर टी ए

बाबूसिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 के.एन.डी. (बी) तहसील घडसाना जिला श्री गंगानगर। ——अपीलांट

बनाम

1. दर्शन सिह पुत्र जगराज सिह जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।

———वादी/रेस्पो0

2. जगराज सिह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. जरनैल सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. अंग्रेज कौर बेवा बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक खारा उर्फ किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्वर्णजीत कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक खारा उर्फ किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. छिन्द्र कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक खारा उर्फ किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. गुरदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. महेन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. कुलविन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. जसविन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह नाबालिग जरिये कुदरती अंग्रेज कौर बेवा बलवीर सिंह जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
11. मु0 सुखेदव कौर बेवा जीतसिंह उर्फ सरजीत सिंह जाति जटसिख नजदीक लोको शैड, हनुमानगढ जंक्शन।
12. गुरमेल सिह पुत्र जीतसिंह उर्फ सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी नजदीक लोकोशैड, हनुमानगढ जंक्शन।
13. हरपालसिंह पुत्र जीतसिंह उर्फ सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी नजदीक लोकोशैड, हनुमानगढ जंक्शन।
14. महेन्द्र कौर पुत्री जीतसिंह उर्फ सरजीत सिंह पत्नि बलदेव सिंह जाति जटसिख साकिन नरूआना तहसील व जिला बठिण्डा।
15. गुरदेव सिंह पुत्र मुंशी सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
16. भोला सिंह पुत्र मुंशी सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।

17. गुरदयाल सिंह पुत्र मुंशी सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
18. खजान सिंह पुत्र मुंशी सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
19. करतार सिह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
20. काका सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
21. मुखत्यार सिह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
22. गुरदेव सिह पुत्र बग्गा सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
23. गुरदर्शन सिंह पुत्र गुरदेव सिह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
24. कुलदीप सिंह पुत्र धन्ना सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
25. बोडा सिंह पुत्र धन्ना सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
26. राजेन्द्र सिंह पुत्र धन्ना सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
27. गुरलाल सिंह पुत्र धन्ना सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
28. जसनामा सिंह उर्फ सतनामा सिंह पुत्र धन्ना सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
29. अंग्रेज सिंह पुत्र सरवन सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
30. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। —— प्रतिवादी/रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 85/97 अनवानी दर्शनसिंह बनाम जगराजसिंह

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री राजेन्द्र कुमार भुंवाल अधिवक्ता अपीलांट, श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12 व 13 व श्री खुशकरणसिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 30 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2016 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 09.11.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ